(353)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक: 20-01-2014

आदेश

राज्य सरकार द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 09.01.2014 द्वारा दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में विविध आदेशों के द्वारा अभियान के दौरान विभिन्न विषयों से संबंधित शिथिलताएं, छूटें तथा शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि (Relaxations, rebates, delegation of power etc.) दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो, तक प्रभावी होने तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012–13 के दौरान दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो, तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

अतः विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6.9.2013 एवं 4.10.2013 की निरन्तरता में राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 31 एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित प्रकरणों में शिथिलता प्रदान करते हुए भवन निर्माण अवधि बढ़ाये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :–

1. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 18(ए) के अन्तर्गत नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डों पर निर्धारित 10 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण नहीं करने के कारण निरस्त भूखण्डों की भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.01.2014 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।

2. राजस्थान नगर सुधार (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6)(बी) के अन्तर्गत तथा राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 17(6)(सी) के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटन के पश्चात् भवन निर्माण हेतु निर्धारित भवन निर्माण अवधि को दिनांक 31.01.2014 तक बढ़ाकर निर्धारित राशि वसूल कर प्रकरण नियमित किया जावे।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

आवेदक द्वारा दिनांक 31.01.2014 तक संबंधित निकाय में प्रस्तुत किये गये आवेदनों पर उक्त छूट दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो तक प्रभावी रहेगी तथा दिनांक 31.01.2014 तक प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनांक 31.03.2014 अथवा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने, जो भी पहले हो तक आवश्यक रूप से निस्तारण सुनिश्चित किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(उज्ज्वल राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री (प्रभारी मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन), राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त जिला कलक्टर, ... (राजस्थान)।
7. संयुक्त शासन सचिव/अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
8. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करें।
10. सचिव, नगर सुधार न्यास .... (समस्त)।

(103)